दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 20/07/2017 का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

1	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 एस0के0 दीक्षित	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
3	प्रो0 श्रीमती शैलजा सिंह	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
4	प्रो0 एस0के0 सेन गुप्ता	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
5	प्रो0 जितेन्द्र मिश्र	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
6	प्रो0 गोपी नाथ	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
7	प्रो0 सी0पी0 श्रीवास्तव	आचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग	सदस्य
8	डॉ0 एस0एन0 शर्मा	अध्यक्ष, गुआक्टा	सदस्य
9	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव
10	प्रो0 अजेय कुमार गुप्त	प्रभारी, ई0डी0पी0 सेल	विशेष आमंत्रित

1\. (क) उ0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, पत्र संख्या–सी0एम0–44/सत्तर–1–2017 दिनांक 27 जून, 2017 जो बाबू जंगी सिंह महाविद्यालय बढ़या चौक, पीपीगंज, गोरखपुर के सत्र 2011–12 में बी0ए0 प्रथम वर्ष की जमा परीक्षा शुल्क, वापस करने के सम्बन्ध में है, पर विचार।

निर्णयः–समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बाबू जंगी सिंह महाविद्यालय बढ़या चौक, पीपीगंज, गोरखपुर के सत्र 2011–12 में बी0ए0 प्रथम वर्ष की कुल जमा परीक्षा शुल्क वापस कर दिया जाय। साथ ही इसे वित्त समिति को सूचित भी कर दिया जाय।

(ख) विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा वर्ष–2017 में स्नातक भाग एक, भाग दो एवं भाग तीन की परीक्षा में कुछ परीक्षार्थियों के आनलाईन परीक्षाफार्म में भरे गये विषय के स्थान पर विषय परिवर्तित कर अन्य विषय पर दी गयी परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों के परीक्षाफल घोषित करने पर विचार।

निर्णय– समिति ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा वर्ष–2017 में स्नातक भाग एक, भाग दो एवं भाग तीन की परीक्षा में कतिपय परीक्षार्थियों के आनलाईन परीक्षाफार्म में भरे गये विषय के स्थान पर विषय परिवर्तित कर अन्य विषय पर दी गयी परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों का विषय परिवर्तन कर परीक्षाफल घोषित करने हेतु अपनी सहमति प्रदान किया।

(ग) अनिता त्रिपाठी पुत्री कमलाकान्त त्रिपाठी एम0एड0 वर्ष–2011, अनुक्रमांक–4773120002, स्वर्ण प्रभा महिला महाविद्यालय, आनन्दनगर महराजगंज ने अनुरोध किया है कि सारणीयन पंजिका में पिता का नाम कमलाकान्त त्रिपाठी अंकित है, जबकि कमलाकान्त उपाध्याय होना चाहिए, कमलाकान्त त्रिपाठी के स्थान पर कमलाकान्त उपाध्याय के नाम संशोधन पर विचार।

(नोट–पैन कार्ड, हाईस्कूल प्रमाण पत्र एवं शपथपत्र आदि संलग्न है)

निर्णय– समिति ने विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अनिता त्रिपाठी पुत्री कमलाकान्त त्रिपाठी एम0एड0 वर्ष–2011, अनुक्रमांक–4773120002, स्वर्ण प्रभा महिला महाविद्यालय, आनन्दनगर महराजगंज के हाईस्कूल प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड के आधार पर पिता के नाम में कमलाकान्त त्रिपाठी के स्थान पर कमलाकान्त उपाध्याय का नाम संशोधन कर दिया जाय।

(घ) महाविद्यालय कोड संख्या–103, शान्ती देवी मेमोरियल महिला महाविद्यालय, डीवाढार, पिपरामिश्र, देवरिया एवं महाविद्यालय कोड संख्या–200, शान्ती देवी मेमोरियल महाविद्यालय, डिवाढार, पिपरा रोहनिया, देवरिया में नकल सम्बन्धी शिकायतों, के सम्बन्ध में प्राप्त विडियो सी0डी0 की सत्यता/जाँच हेतु गठित जांच समिति–

1. प्रो0 विनोद कुमार सिंह, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग
2. विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स विभाग, डॉ0 मनीष मिश्र
3. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साइन्स, डॉ0 उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी

की जाँच आख्या/संस्तुति पर विचार–

निर्णयः– समिति ने जांच समिति की संस्तुतियों/आख्या एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पर्यवेक्षकों की आख्या के क्रम में विस्तृत विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया–

... डॉ0 अरविन्द कुमार पाण्डेय, केन्द्राध्यक्ष, महाविद्यालय

पाण्डेय, केन्द्राध्यक्ष, (प्राचार्य प्रभारी), महाविद्यालय कोड संख्या--200, शान्ती देवी मेमोरियल महाविद्यालय, डिवाडार, पिपरा रोहनिया, देवरिया को आगामी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से दो वर्षो तक डिबार रखा जाय।

II. दोनों महाविद्यालयों कोड संख्या--103, शान्ती देवी मेमोरियल महिला महाविद्यालय, डीवाढार, पिपरामिश्र, देवरिया एवं महाविद्यालय कोड संख्या--200, शान्ती देवी मेमोरियल महाविद्यालय, डिवाडार, पिपरा रोहनिया, देवरिया को आगामी सत्र 2017--18 एवं सत्र 2018--19 की परीक्षा में परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

(ड़) वार्षिक परीक्षा वर्ष--2017 के दौरान सामूहिक नकल से सम्बन्धित परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत आख्या एवं विश्वविद्यालय द्वारा गठित उड़ाका दल के रिपोर्ट के क्रम में सामूहिक नकल के प्रकरण के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर गठित विभागीय समिति की संस्तुतियां पर विचार।

निर्णयः समिति ने विश्वविद्यालय द्वारा गठित उड़ाका दलों एवं परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों तथा सामूहिक नकल निस्तारण समितियों द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों को स्वीकार कर निम्नवत निर्णय लिया --

(i) ऐसे प्रश्नपत्र जिनमें सामूहिक नकल का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है उनसे सम्बन्धित महाविद्यालयों के परीक्षाफल घोषित कर दिये जाय।

(ii) ऐसे प्रश्नपत्र जिनमें सामूहिक नकल का आरोप सिद्ध पाया गया है उनसे सम्बन्धित परीक्षाफल सम्बन्धित छात्रों के आरोप सिद्ध प्रश्नपत्रों के प्राप्तांक से प्राप्तांक के 30 प्रतिशत अकों की कटौती कर परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय।

(iii) ओ0एम0आर0 सम्बन्धित प्रश्नपत्रों में शिकायतों के सम्बन्ध में परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों एव प्राप्तांकों के अन्तरों को दृष्टिगत रखते हुए आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

(iv) सामूहिक नकल में आरोप सिद्ध महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त केन्द्राध्यक्षों को आगामी परीक्षा वर्ष--2018 में केन्द्राध्यक्ष न बनाया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार--

1. वार्षिक परीक्षा वर्ष--2017 में निम्न महाविद्यालयों ने छात्रों का परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय में अभी तक जमा नहीं किया ऐसे महाविद्यालयों का परीक्षाफल घोषित करने पर विचार।

कोड	महाविद्यालय का नाम	शेष छात्र संख्या (जिनकी परीक्षा शुल्क जमा नही है)
103	शान्ती देवी मेमोरियल महिला महाविद्यालय, डीवाढार, पिपरामिश्र, देवरिया	92
117	सिद्दीक अहमद पी0 जी0 कालेज, दिरतौली, देवरिया	135
200	शान्ती देवी मेमोरियल महाविद्यालय, डिवाडार, पिपरा रोहनिया, देवरिया	140
442	बाबा मोलन सिंह स्मारक महाविद्यालय, बैजनाथपुर, संतकबीरनगर	114
523	राजेश्वर पाण्डेय मेमोरियल महाविद्यालय, तुर्कपट्टी महुअवॉ, कुशीनगर	872
610	स्व0 अशर्फी लाल महाविद्यालय उटौवा जोगिया, सिद्धार्थनगर	11
801	बच्चीदेवी रामदेव चौबे महाविद्यालय, अजयपुरी, गौनापार, सरदार नगर, गोरखपुर	566

निर्णयः-- समिति ने सर्वसम्मति से छात्रहित के दृष्टिगत निर्णय लिया कि वार्षिक परीक्षा वर्ष--2017 में उपरोक्त महाविद्यालयों ने छात्रों का परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय में अभी तक जमा नहीं किया है। ये महाविद्यालय दिनांक 27/07/2017 तक छात्रों का परीक्षा शुल्क अवश्य जमा कर दें, अन्यथा दिनांक 28/07/2017 से रू0 100--00 (रू0 एक सौ मात्र) प्रति छात्र की दर से अर्थदण्ड अलग से देय होगा, साथ ही इन महाविद्यालयों के विरूद्ध उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 37(2) के अन्तर्गत नियमानुसार सम्बद्धता वापसी की कारवाई की जायेगी।

अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ समिति की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

परीक्षा नियंत्रक

कुलपति